न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
170/2022 (GCMS 2022/170)	12.07.2022	21.09.2022

उनवान

सरकार जरिये महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्री दौलत सिंह नाहर पुत्र भंवर लाल नाहर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स सुनील किराणा एण्ड जनरल स्टोर, दुकान नं. 103, राणा सांगा मार्केट, चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश सिहाग ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश टिंकर दिनांक 01.07.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक **25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 502 दिनांक 13.01.2019 एवं क्रमांक 175 दिनांक 26.05.2021 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित

किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। तत्कालीन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.07.2019 को समय 03.30 पी.एम. पर श्री दौलत सिंह नाहर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स सुनील किराणा एण्ड जनरल स्टोर, राणा सांगा मार्केट, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। वहां मौके पर श्री दौलत सिंह नाहर उपस्थित था। जिसे तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु रखी खाद्य वस्तु एएम–1041 आईसलॉली (Lehar Papsee Brand) 30 ग्राम के 400 पाउच एक प्लास्टिक के कट्टे में रखे हुए थे उसमें से मिलावट का शक होने पर 40 पाउच जाँच हेतु खरीदे। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं. 5 ए की प्रति तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ आईसलॉली (Lehar Papsee Brand) 40 पाउच 30–30 ग्राम के वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 20/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ एएम–1041 आईसलॉली (Lehar Papsee Brand) 40 पाउच 30–30 ग्राम के 10–10 पेकेटों को बांधकर 4 नमूना पैकेट बनाये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1041** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील

किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में रोशनलाल सहायक कर्मचारी के द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के डी. ओ. (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/4498 दिनांक 13.12.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा जांच हेतु लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। प्रकरण में उक्त नमूने की अवधि पार होने के कारण अभिहीत अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्र दिनांक 21.06.2022 से समय सीमा बढ़ाने हेतु लिखा गया तत्पश्चात आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा अवधि बढ़ाये जाने का आदेश दिनांक 30.06.2022 प्राप्त हुआ जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है उसके पश्चात् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) चित्तौड़गढ़ द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने मिसब्राण्डेड आईसलॉली (Lehar Papsee Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) एवं बिना लाईसेंस के खाद्य सामग्री बेचने से धारा 31(i) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 एवं 63 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 राजेश टिंकर, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्च चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़

गवाह संख्या 3 डॉ0 रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 4 भैरूलाल भाम्बी पुत्र गोवर्धन भाम्बी निवासी घटियावली का खेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस डिलीवर्ड हो जाने के बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 2 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 3 एवं 4 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ आईसलॉली (Lehar Papsee Brand) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 4 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 01.07.2019 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 5 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 01.07.2019 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ आईसलॉली (Lehar Papsee Brand) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1041** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 42 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 का अवलोकन किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़

द्वारा पत्रवाहक मनोहर मीणा के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1041** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 7 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक मनोहर मीणा द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 02.07.2019 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)**(ii)** एवं 2.4.1(10)**(iii)** के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2019/3988 दिनांक 15.11.2019 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 311/ACT/2019/338 Dated 25-09-2019** की प्रति जरिये डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 311/ACT/2019/338 Dated 25-09-2019** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश टिंकर द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 42 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 23.07.2019 से 25.09.2019 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Ice Loly (Lehar Pepsee) bearing code no. and serial no. AM-1041 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh The Sample is misbranded under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1041** आईसलॉली (Lehar Papsee Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i)** के तहत मिथ्याछाप (misbranded) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2019/3988 दिनांक 15.11.19 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के

संबंध में अवगत कराया गया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश टिंकर द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूने के संबंध में न्यायालय में परिवाद संस्थित करने की 1 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने से अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा बढ़ाने हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को जरिये पत्रांक/एफएसएसए/2022/2268 दिनांक 21.06.2022 से लिखा गया जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर द्वारा अपने पत्रांक/आयुक्ता./खा.सु.औ.नि./स.सी./2022/1279 दिनांक 30.06.22 से जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा दिनांक 30.06.2022 तक विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 12 से 14 होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (मिसब्राण्ड) है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के

विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी श्री दौलत सिंह नाहर पुत्र भंवर लाल नाहर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स सुनील किराणा एण्ड जनरल स्टोर दुकान नं. 103, राणा सांगा मार्केट, चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म के निरीक्षण के दौरान विक्रेता/मालिक के पास खाद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 एवं 63 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49, 52 एवं 63 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री दौलत सिंह नाहर पुत्र भंवर लाल नाहर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स सुनील किराणा एण्ड जनरल स्टोर दुकान नं. 103, राणा सांगा मार्केट, चित्तौड़गढ़ को राशि 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़